

भारतीय संविधान: अनुच्छेद 370 एवं 35ए का ऐतिहासिक, संवैधानिक और सामाजिक विश्लेषण: एक अध्ययन

डॉ. राकेश कुमार

अस्सिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)-124021

सार

15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तथा इसी के सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 370 एवं 35ए ने जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की थी। अनुच्छेद 370 के तहत, राज्य को भारतीय संविधान के अन्य प्रावधानों को लागू करने से छूट दी गई थी, जबकि अनुच्छेद 35ए ने राज्य सरकार को 'स्थायी निवासियों' के अधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति दी तथा जो यह प्रावधान किए गए थे इनका उद्देश्य भारत और जम्मू-कश्मीर के बीच संबंधों को स्थिरता प्रदान करना था। हालाँकि, समय के साथ, इन अनुच्छेदों पर आलोचना हुई कि वे भारत की संघीय संरचना एवं समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) के सिद्धांत के विपरीत हैं। भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 एवं 35ए का निरस्तीकरण कर दिया गया एवं जम्मू एवं कश्मीर दो केन्द्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित कर दिया गया। जिसमें जम्मू-कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी तथा लद्दाख बिना विधानसभा के केन्द्र शासित प्रदेश होगा तथा प्रस्तुत शोध पत्र अनुच्छेद 370 एवं 35ए के ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण करता है। इसमें इन प्रावधानों की उत्पत्ति, उनके प्रभाव और 2019 के उपरान्त जम्मू एवं कश्मीर में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है तथा इस शोध पत्र के निहितार्थ भारत की संघीय संरचना, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता पर इन निर्णयों के प्रभावों को समझने का प्रयास इसके सन्दर्भ में करता है।

कुंजी शब्द: भारतीय संविधान, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35ए, जम्मू-कश्मीर, राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक विश्लेषण, सामाजिक प्रभाव, अध्ययन

परिचय

ब्रिटिश शासन से आजादी के उपरान्त भारतीय संविधान का निर्माण कर 26 जनवरी, 1950 को संविधान को लागू किया गया, परन्तु जम्मू-कश्मीर के विलय को लेकर महाराजा हरिसिंह संशय में थे कि उन्हें जम्मू-कश्मीर का विलय भारत के संदर्भ में करना चाहिए या नहीं तथा वे जम्मू-कश्मीर को स्वायत्त रखना चाहते थे। कबाइलियों के हमले के उपरान्त उन्हें 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू-कश्मीर का विलय भारत के सन्दर्भ में करना पड़ा तथा 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 का विलय भारत के संदर्भ में अस्थायी तौर पर करना पड़ा। भारतीय संविधान का निर्माण देश की विविधता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर किया गया था। अनुच्छेद 370 एवं 35ए, जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता और अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधान थे। यह प्रावधान न केवल संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, बल्कि राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर भी लंबे समय तक चर्चा का केन्द्र बने रहे। इस शोध पत्र के अन्तर्गत अनुच्छेद 370 एवं 35ए के ऐतिहासिक और संवैधानिक पहलुओं का वर्णन किया गया है तथा 5 अगस्त 2019 के उपरान्त हुए परिवर्तनों का अध्ययन इसके अन्तर्गत किया गया है।

अनुच्छेद 370: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1. पृष्ठभूमि

15 अगस्त, 1947 को भारत को आजादी मिलने के उपरान्त एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हुआ तथा दूसरे तरफ पाकिस्तान राष्ट्र का प्रादुर्भाव भी इसी के सन्दर्भ में हुआ, परन्तु जम्मू-कश्मीर रियासत को लेकर महाराजा हरिसिंह निर्णय नहीं कर पाये कि उन्हें इसका निर्णय भारत के सन्दर्भ में करना चाहिए या पाकिस्तान के सन्दर्भ में, परन्तु उनकी निजी इच्छा जम्मू एवं कश्मीर को स्वतंत्र अर्थात् स्वायत्त रखने की थी, परन्तु पाकिस्तान सरकार द्वारा समर्थित कबाइलियों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला कर दिया परिणाम स्वरूप महाराजा हरिसिंह द्वारा भारत से सहायता माँगी गई। भारत सरकार ने सहायता देना स्वीकार किया जिसमें विदेशी, रक्षा एवं संचार के मामले केन्द्र सरकार के अधीन रखे गए थे बाकी के मामलों पर निर्णय का अधिकार जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंपा गया था, इसके पश्चात् 26 अक्टूबर 1947 को 'विलय संधि' (Instrument of Accession) हस्ताक्षर किए गए एवं जम्मू-कश्मीर का विलय भारत के अन्तर्गत किया गया। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। (ए°जी° नूरानी)

2. संवैधानिक विशेषताएँ

यह प्रावधान भारतीय संसद को केवल रक्षा, विदेश और संचार के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता था।

राज्य का अलग संविधान एवं ध्वज था।

अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था।

भारतीय संविधान की आपातकालीन शक्तियाँ 352, 356, 360 जम्मू एवं कश्मीर के सन्दर्भ में लागू नहीं होती थी।

संपत्ति का अधिकार जम्मू एवं कश्मीर के स्थायी निवासियों को प्रदान किया गया था तथा जम्मू एवं कश्मीर से बाहर के व्यक्तियों को जम्मू-कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे।

3. विवाद

अनुच्छेद 370 का विवाद इसको भारतीय संविधान में शामिल करने के दौर से ही प्रारम्भ हो गया था जो कि इसके विवाद के निम्नलिखित बिंदु दृष्टिगोचर करता है-

इस प्रावधान को भारतीय संघीय ढाँचे के खिलाफ माना गया।

आलोचकों के अनुसार यह राष्ट्रीय एकता में बाधा थी।

26 अक्टूबर, 1947 को इसका विलय प्रारंभ में हो चुका है तो पृथक संविधान का औचित्य निरर्थक है।

राज्य के विकास में बाधा अनुच्छेद 370 (ए°जी° नूरानी)

अनुच्छेद 35ए: अधिकार एवं विवाद

अनुच्छेद 35ए को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर के सन्दर्भ में 'स्थायी निवासी' की परिभाषा तय करने का अधिकार देता था, अर्थात् अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को कुछ विशेषाधिकार इसके निहित उन्हें प्राप्त हो जाते हैं।

35ए के मुख्य प्रावधान

जम्मू-कश्मीर के अन्तर्गत स्थायी निवासी ही राज्य में संपत्ति खरीद सकते थे अर्थात् 35ए के अन्तर्गत उन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते थे।

जम्मू एवं कश्मीर में 35ए के निहितार्थ सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में स्थायी निवासियों को प्राथमिकता मिलती थी। जिससे उन्हें 35ए के सन्दर्भ में रोजगार को लेकर विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते थे।

35ए संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर भेदभाव: जम्मू-कश्मीर में यदि महिला राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य के निवासियों से विवाह करती थी, तो उसे अपनी संपत्ति के अधिकार खोने पड़ते थे।

विवाद

35ए के संदर्भ में इसे विवादों का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसे बाद में राष्ट्रपति के आदेश से 1954 में जोड़ा गया है।

इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के खिलाफ बताया गया।

भारत के अन्य राज्य के नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में भेदभाव का सामना करना पड़ता था।

एक देश दो संविधान का निर्णय संघात्मक व्यवस्था के विरुद्ध (ग्रेनविल आस्टिन)

5 अगस्त 2019 के उपरान्त के बाद का जम्मू-कश्मीर

1. अनुच्छेद 370 एवं 35ए की समाप्ति

5 अगस्त 2019 को केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 370 एवं 35ए का वैधानिक रूप से उन्मूलन कर दिया गया तथा यह केन्द्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला था। इसके सन्दर्भ में जम्मू एवं कश्मीर दो केन्द्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर को अपनी विधानसभा होगी तथा लद्दाख बिना विधानसभा के केन्द्र शासित प्रदेश होगा। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के पश्चात् भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर में लागू हो सकेंगे, जो कि भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम है।

परिणाम

अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात् कोई भी भारतीय जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। जिससे राज्य में व्यापक तौर पर निवेश और विकास की संभावनाएँ काफी मात्रा में बढ़ गई हैं। जिससे जम्मू एवं कश्मीर में व्यापारिक माहौल (Business Environment) तैयार किया जा सकेगा तथा जिससे राज्य में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के उपरान्त महिलाओं के अधिकार संरक्षित होंगे तथा गैर मुस्लिम समुदायों को भी राज्य में उचित अवसर प्राप्त होंगे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था भी अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के उपरान्त की जा रही है, अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के पश्चात् राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 में

अत्यधिक इसके निरस्तीकरण को लेकर एक सकारात्मक रूप प्रस्तुत करता है, परन्तु कुछ विशेष वर्गों में इसके निरस्तीकरण को लेकर तनाव भी देखा जा सकता है। (मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स)
संवैधानिक एवं सामाजिक प्रभाव

अनुच्छेद 370 एवं 35ए के निरस्तीकरण के उपरान्त इसके संवैधानिक एवं सामाजिक प्रभावों का असर हम निम्नलिखित क्षेत्र में देख सकते हैं -

- 1 राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में इसका प्रभाव: अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के उपरान्त राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का प्रयास इसके संदर्भ में किया गया है।
- 2 आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त: अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के उपरान्त जम्मू एवं कश्मीर के विकास के नए मार्ग इसके उन्मूलन के उपरान्त खुलेंगे।
- 3 संघात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक: अनुच्छेद 370 का उन्मूलन संघात्मक व्यवस्था के लिए अत्यन्त आवश्यक है जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू-कश्मीर का अधिमिलन भारतीय संविधान के अन्तर्गत किया गया है।

विरोध तथा आलोचनाएँ

उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के पश्चात् इसको लेकर जाया गया। जहाँ उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को वैध पाया गया तथा कई राजनीतिक दलों जैसे पी०डी०पी०, नेशनल कांग्रेस आदि ने इसका कड़ा विरोध किया तथा इसको असंवैधानिक करार दिया, परन्तु उच्चतम न्यायालय ने इसको वैध करार देकर इसकी वैधानिकता पर अपनी मुहर लगा दी जिससे वर्षों पुराना विवाद हल हो गया। (जान लुन)

निष्कर्ष

ब्रिटिश डोमिनियन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तथा महाराजा हरिसिंह के द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया तथा विधिवत् 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में इसको शामिल किया, जिससे अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू- कश्मीर की जनता को विशेषाधिकार प्राप्त हुए जो कि एक देश दो विधान भारतीय संघात्मक व्यवस्था के खिलाफ है। इस प्रकार 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का उन्मूलन कर दिया गया तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू किया गया जिसके परिणाम स्वरूप अब जम्मू-कश्मीर का पूर्ण अधिमिलन भारत के संदर्भ में कर दिया गया है तथा अब सभी विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर में सकारात्मक माहौल इन 5 वर्षों में दिखाई दे रहा है।

संदर्भ सूची

1. ए०जी० नूरानी, अनुच्छेद 370: ए कान्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 2014
2. ग्रेनविल आस्टिन, द इंडियन कान्स्टिट्यूशन: कारेस्पोंडेस ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 1966
3. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एनुअल रिपोर्ट जम्मू एण्ड कश्मीर, गवर्मेंट ऑफ इंडिया, 2019-2023
4. जान लुन, कश्मीर: अनुच्छेद 370 हटाने के प्रभाव, हाऊस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी, 8 अगस्त 2019
5. सुप्रीम कोर्ट केसिज, रिलेवेंट जजमेन्ट ऑन आर्टिकल 370 एण्ड 35ए, ईस्टर्न बुक कम्पनी, 2023
6. बलराज पुरी, कश्मीर: ए पॉलिटिकल हिस्ट्री 1846-1996, ऑक्सफोर्ड प्रैस, 1996